न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 138/2022

1 शांति देवी पत्नी पुष्करलाल।
2 विनय कुमार पुत्र पुष्करलाल।
3 कंचन देवी पत्नी बाबूलाल।
4 दीपक पुत्र बाबूलाल समस्त जाति जाति महाजन निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA– IInd Floor हावड़ा 711101
5 दिवेश कुमार बगड़िया पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद रिवर निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA– IInd Floor हावड़ा 711101 समस्त जरिये मुख्यतार जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र मालाराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 अशोक नगर बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजकुमार बगड़िया पुत्र गोगराज।
2 शिव शंकर पुत्र सीताराम।
3 राजेश पुत्र सीताराम।
4 चन्दा देवी पत्नी महेश कुमार।
5 अरूण कुमार पुत्र महेश कुमार समस्त जाति महाजन निवासीगण बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद बगड़िया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 16 नेताजी सुभाष रोड़ IV Floor कोलकाता 700001
6राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 24.05.2022
दावा संख्या 243/21 पीठासीन अधिकारी शैलेश खेरवा
आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू शीर्षक शान्ति देवी
बनाम राजकुंमार वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड
दुरूस्ती।

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरजप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–30-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 243/2021 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 1012 मी.रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता जिसमें हाल खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर भूमि वादीगण की पैत्रिक व कब्जा काश्त की भूमि होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित करने व विभाजन करने के अनुतोष के साथ घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से इकबाली

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कस्बा बगड़ में भूमि गत खसरा नम्बर 1012 मी. रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता जिसमें हाल खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 868/2075 रकबा 0.12 हैक्टेयर व गत खसरा नम्बर 1095 रकबा 19 बीघा पुख्ता जिसमें हाल खसरा नम्बर 943 रकबा 4.81 हैक्टेयर भूमि कस्बा बगड़ में अवस्थित रही है। उक्त गत खसरा नम्बर 1012मी. रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता में से 9 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी हनुमान बक्स पुत्र रामचन्द्र के नाम से ही है। शेष 4 बीघा भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम रही है, जिसका कोई विवाद नहीं है। इस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1012 भूमि के नये खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 943 रकबा 4.81 हैक्टेयर को विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया। हनुमान बक्स पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त भूमि को हनुमान बक्स के वारिस गोगराज ने काश्त किया है तथा गंगाधर का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। गंगाधर ने विवादित भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है। विवादित भूमि को गोगराज ने ही काश्त किया है। गोगराज व गणपतराम दोनों ने विवादित भूमि को संयुक्त रूप से शामलाती ही काश्त किया है। जिसमें दोनों के परिवार वालों की रजामंदी व सहमती भी थी। विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 1095 रकबा 19 बीघा पुख्ता भूमि संवत 1999 की मिसल हकियत गांव बगड़ गणपत पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 1095 रकबा 13 बीघा पुख्ता जमाबंदी संवत 2012–2015 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब भी उक्त भूमि गणपत पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

रामचन्द्र जाति महाजन खातेदार दर्ज रही हैं जिसमें गोगराज पुत्र हनुमान बक्स का नाम उपकृषक रहा है तथा एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा में से संवत 2012–2015 की जमाबंदी में गंगाधर पुत्र हनुमान बक्स के नाम से 9 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रही है तथा जमाबंदी संवत 2016 में भी भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता में से 9 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता भूमि का काश्तकार गोगराज बक्स पुत्र हनुमान बक्स दर्ज रहा है। विवादित भूमि के वादीगण काश्तकार है, जिसका कोई विरोध भी नहीं है। प्रतिवादीगण को यह पता है कि उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 2 मुल रकबा 2.32 हैक्टेयर को वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय में भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा जवाब दावा पेश कर वाद पत्र की धारा को स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं होना अपने जवाब में वर्णित किया है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 665 दिनांक 28.05.1970, सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 639 दिनांक 18.10.1969 सत्य प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2033–36 ग्राम बगड़ सतय प्रतिलिपि जमाबंदी चालू संवत 2074–77 ग्राम बगड़ सत्य प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्र 122मी. 1095, सत्य प्रतिलिपि मिसल हकियत संवत 1999 खसरा नम्बर 102 पुराना, सत्य प्रतिलिपि मिसल हकीयत संवत 1999 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2012 से 2015 सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2016 खसरा नम्बर 1012 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2018 से 2031 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2041–44 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत जमाबंदी संवत 2032 से 33 ग्राम बगड़ खसरा नम्बर 1095 पुराना साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना वादी अपीलांट का वाद खारिज कर विधिक त्रुटि की है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (शिविर झुन्झुनूं)

से वादी अपीलांट का वाद भंली भांति साबित है। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कस्बा बगड़ में भूमि गत खसरा नम्बर 1012 मी. रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता जिसमें हाल खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 868/2075 रकबा 0.12 हैक्टेयर व गत खसरा नम्बर 1095 रकबा 19 बीघा पुख्ता जिसमें हाल खसरा नम्बर 943 रकबा 4.81 हैक्टेयर भूमि कस्बा बगड़ में अवस्थित रही है। उक्त गत खसरा नम्बर 1012मी. रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता में से 9 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी हनुमान बक्स पुत्र रामचन्द्र के नाम से ही है। शेष 4 बीघा भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम रही है, जिसका कोई विवाद नहीं है। इस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1012 भूमि के नये खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 943 रकबा 4.81 हैक्टेयर को विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादी अपीलांट का कथन रहा है कि हनुमान बक्स पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त भूमि को हनुमान बक्स के वारिस गोगराज ने काश्त किया है तथा गंगाधर का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। गंगाधर ने विवादित भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है। विवादित भूमि को गोगराज ने ही काश्त किया है। गोगराज व गणपतराम दोनों ने विवादित भूमि को संयुक्त रूप से शामलाती ही काश्त किया है। जिसमें दोनों के परिवार वालों की रजामंदी व सहमती भी थी। विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 1095 रकबा 19 बीघा पुख्ता भूमि संवत 1999 की मिसल हकियत गांव बगड़ गणपत पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा उक्त भूमि खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

नम्बर 1095 रकबा 13 बीघा पुख्ता जमाबंदी संवत 2012–2015 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब भी उक्त भूमि गणपत पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन खातेदार दर्ज रही हैं जिसमें गोगराज पुत्र हनुमान बक्स का नाम उपकृषक रहा है तथा एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा में से संवत 2012–2015 की जमाबंदी में गंगाधर पुत्र हनुमान बक्स के नाम से 9 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रही है तथा जमाबंदी संवत 2016 में भी भूमि खसरा नम्बर 1012 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता में से 9 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता भूमि का काश्तकार गोगराज बक्स पुत्र हनुमान बक्स दर्ज रहा है। विवादित भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने में प्रतिवादीगण का कोई विरोध भी नहीं है। प्रतिवादीगण को यह पता है कि उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 2 मुल रकबा 2.32 हैक्टेयर को वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय में भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा जवाब दावा पेश कर वाद पत्र की धारा को स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं होना अपने जवाब में वर्णित किया है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 665 दिनांक 28.05.1970, सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 639 दिनांक 18.10.1969 सत्य प्रतिलिपि गिरदावरी संवत 2033–36 ग्राम बगड़ सतय प्रतिलिपि जमाबंदी चालू संवत 2074–77 ग्राम बगड़ सत्य प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्र 122मी. 1095, सत्य प्रतिलिपि मिसल हकियत संवत 1999 खसरा नम्बर 102 पुराना, सत्य प्रतिलिपि मिसल हकीयत संवत 1999 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2012 से 2015 सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2016 खसरा नम्बर 1012 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2018 से 2031 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2041–44 खसरा नम्बर 1095 पुराना, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी संवत जमाबंदी संवत 2032 से 33 ग्राम बगड़ खसरा नम्बर 1095

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झुनूं)

पुराना साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना वादी अपीलांट का वाद खारिज कर विधिक त्रुटि की है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से वादी अपीलांट का वाद भंली भांति साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण अपीलांट को विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 1012 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता हाल खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। वादीगण अपीलांट विधि अनुसार विभाजन करवाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

डिक्री व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री धारा सिंह मीना, आर.ए.एस

1 शांति देवी पत्नी पुष्करलाल।
2 विनय कुमार पुत्र पुष्करलाल।
3 कंचन देवी पत्नी बाबूलाल।
4 दीपक पुत्र बाबूलाल समस्त जाति जाति महाजन निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA– IInd Floor हावड़ा 711101
5 दिवेश कुमार बगड़िया पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद रिवर निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद रिवर व्यू अपार्टमेंट 18 मुखराम कानोडिया रोड BIA– IInd Floor हावड़ा 711101 समस्त जरिये मुख्यतार जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र मालाराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 अशोक नगर बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजकुमार बगड़िया पुत्र गोगराज।
2 शिव शंकर पुत्र सीताराम।
3 राजेश पुत्र सीताराम।
4 चन्दा देवी पत्नी महेश कुमार।
5 अरूण कुमार पुत्र महेश कुमार समस्त जाति महाजन निवासीगण बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू हाल आबाद बगड़िया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड 16 नेताजी सुभाष रोड़ IV Floor कोलकाता 700001
6राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

नियमित अपील संख्या 138/2022 विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 24.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 243/2021 उनवानी शांति देवी बनाम राजकुमार वगैरह।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री धारा सिंह मीना आर.ए.एस. बहाजरी श्री राजकुमार सैनी वास्ते अपीलांट एवं श्री सुरजप्रकाश शर्मा वास्ते रेस्पोडेंट।

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी को अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण अपीलांट को विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 1012 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा पुख्ता हाल खसरा नम्बर 868 रकबा 1.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 870 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

डिकी आज दिनांक 30-1-23 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प कोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर
मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)